



अधिसूचना

निदेशानुसार सूचित करना है कि रामेश्वर सिंह फार्मसी कॉलेज, पाण्डेय परसावाँ, गया (बिहार) के पी.सी.आई द्वारा संबंधन की स्वीकृति के आलोक में विश्वविद्यालय द्वारा गठित निरीक्षक दल के निरीक्षण प्रतिवेदन में किया गया अनुशंसा तथा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर सी.डब्ल्यू.जे.सी. न. 7437/2020, 7599/2020, 8222/2022 में दिनांक 05/04/2021 को पारित न्यायादेश एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत एन.ओ.सी. पत्रांक संख्या 17/एफ 1-42/2020-1094 (17) दिनांक 31/12/2021 के आलोक में पी.सी.आई द्वारा आवंटित Intake 100 (एक सौ) सीटों सत्र 2020-21 एवं सत्र 2021-22 दो सत्रों के लिए संबंधन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

नोट - विश्वविद्यालय परिनियत समितियाँ (Statutory Committee) द्वारा लगाये गये शर्तों की प्रति संलग्न की जा रही है। अनुपालन सुनिश्चित करना कॉलेज प्रबंधन द्वारा किया जाना अनिवार्य है।

विश्वासभाजन

ह०/-

कुलसचिव

मगध विश्वविद्यालय, बोधगया

ज्ञापिकांक 136/6777B/22

दिनांक 29.3.22

प्रतिलिपि :

1. निदेशक, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नेल्सन मंडेला मार्ग, वसंत कुंज, नई दिल्ली - 110070
2. निबंधक-सह-सचिव, फॉर्मसी कॉउन्सिल ऑफ इंडिया, NBCC Centre 3rd Floor, Plot No. 2, Community Centre Maa Anandamai Marg, Okhla Phase - 1, Landmark - (Near Hotel Crowne Plaza) New Delhi - 110 020
3. विशेष कार्य पदाधिकारी, बिहार सरकार, स्वास्थ्य विभाग, पटना।
4. निदेशक, उच्च शिक्षा, बिहार सरकार, पटना।
5. माननीय कुलपति महोदय के निजी सचिव, मगध विश्वविद्यालय, बोधगया।
6. कुलसचिव/परीक्षा नियंत्रक/पंजीयन प्रभारी/नोडल (आई.टी.)/महाविद्यालय निरीक्षक, मगध विश्वविद्यालय, बोधगया।
7. निदेशक/प्रधानाचार्य, रामेश्वर सिंह फार्मसी कॉलेज, पाण्डेय परसावाँ, गया (बिहार) को निर्देशित किया जाता है कि शर्तों एवं बंधेजों की अनुपालन सुनिश्चित करें।

विश्वासभाजन

कुलसचिव

29.03.22

मगध विश्वविद्यालय, बोधगया

[Handwritten Signature]
29/3/22